प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1.जिलाः–चौकी ए.सी.बी. कोटा थाना.... प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्र0नि0ब्यूरो जयपुर
प्र.सू.रि. संख्या .....284...../2022 दिनांक .....15/7/22.....

2.(A)अधिनियम – **भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 धारायें – 13(1)(डी), 13(2)**

(B) अधिनियम – **भारतीय दण्ड संहिता धाराये – 120 बी**

(C) अधिनियम.....धारायें.....

(D)अन्य अधिनियम धारायें.....

3.(अ)रोजनामचा आम रपट संख्या.....280.....समय.....12:50 PM

(ब) अपराध घटने का दिन – दिनांक – 25.06.2018

(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक – 20.09.2018

4.सूचना की किस्म लिखित/ मौखिक ..... न्यूज कटिंग दैनिक भास्कर

5. घटना स्थलः– कोटा

(अ)पुलिस थाना से दिशा व दूरी –

(ब) पता बीट संख्या ..... जरायम देही संख्या .....

(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो .....

पुलिस थाना.....जिला .....

6. परिवादी/सूचनाकर्ता :–

(अ) नामः– श्री ठाकुर चन्द्रशील कुमार

(ब) पिता का नाम – डॉ. उपेन्द्र ठाकुर

(स) जन्म तिथि/वर्ष – 51 साल

(द) राष्ट्रीयता – भारतीय

(य) पासपोर्ट संख्या.....जारी होने की तिथि.....जारी होने की जगह.....

(र) व्यवसाय– राजस्थान पुलिस सेवा

(ल) पता – तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों कोटा

7. **ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्योरा सम्पूर्ण विशिष्ठियों सहित :–**

(1) श्री द्वारका लाल मीणा तत्कालीन सदस्य राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर हाल सेवानिवृत निवासी – फ्लेट नम्बर – 504, शुभम रेजीडेंसी, बांरा रोड कोटा

(2). श्री कालू लाल खाती पुत्र कंवरी लाल खाती निवासी मु0पो0 गुराई वाया दूनी जिला टोंक तत्कालीन तहसीलदार तहसील लाडपुरा जिला कोटा हाल सेवानिवृत

(3). श्री दिनेश पुत्र नाथू लाल जाति माली निवासी 173, विद्यालय रोड, गिरधरपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा

8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने मे विलम्ब का कारण :–

9.चुराई हुई लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये)

10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्तियों का कुल मूल्य –

11. पंचनामा/यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो).....

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें) :–

महोदय,

प्रकरण का विवरण इस प्रकार है कि दैनिक भास्कर समाचार पत्र मे प्रकाशित खबर एवं अपराध संख्या 411/2014 धारा 13(1)(डी) 13(2) पीसी एक्ट 1988 व धारा 219,420,120बी आईपीसी के संदर्भ मे श्री ठाकुर चन्द्रशील कुमार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्र.नि.ब्यूरों कोटा द्वारा एक रिपोर्ट एसीबी मुख्यालय इस आशय की भेजी गई कि – कोटा तहसील के ग्राम रायपुरा मे मथुराधीश मंदिर से जुडी बेशकीमती जमीन खसरा नम्बर 311,312 की कुल 3.93 हैक्टेयर जमीन का श्री रणछोड लाल की ओर से बनाई गई जाली वसीयत की जांच के दौरान ही श्री गोपाल उर्फ गोपीलाल की ओर से श्री दिनेश सुमन के नाम विवादित जमीन की वसीयत भी पत्रावली पर आयी । एक ही खसरा नम्बर के बारे मे जब तीन–तीन वारिस के दस्तावेज जांच पत्रावली पर थे तो तहसीलदार को वसीयत की सत्यता के लिए यह मामला निर्धारण के लिए सिविल न्यायायल मे प्रेषित किया जाकर जाली वसीयत, मृत्यु प्रमाण पत्र की जांच करवाई जानी थी। सत्यता की जांच के पश्चात ही सही वसीयत का निर्धारण कर निर्णय किया जाना था। श्री नवल चन्द जैन तहसीलदार द्वारा अपने पद का दुरूपयोग कर श्री गोस्वामी विठ्ठलदास उर्फ लालमणी उर्फ हरीश गोस्वामी पुत्र श्री गोस्वामी रणछोड लाल निवासी बम्बई को ही फायदा पहुँचाने की गरज से श्री मिथून सरोजा उर्फ बोबी मेवाडा व अन्य

लोगो से मिलकर भ्रष्टतापूर्वक विधि के प्रतिकूल वसियत की जांच मे विवादित भूमि का नामान्तरण दर्ज करने हेतु पत्र क्रमांक 9619 दिनांक 30.12.2013 पटवारी हल्का रायपुरा कोटा के नाम जारी कर जमीन का नामान्तरण दिनांक 04.01.2014 को मृतक श्री रणछोड लाल के स्थान पर उनके पुत्र श्री गोस्वामी विठ्ठलनाथ उर्फ लालमणी उर्फ हरीश के नाम दर्ज करवाया। जांच पत्रावली पर श्री गोपाल उर्फ गोपीलाल कहार की और से जाली वसियत एवं उसे उप पंजीयन कोटा के यहां कूटरचित होते हुए पंजीयन करवाया। इस जालसाजी मे श्री दिनेश सुमन पुत्र नाथू लाल जाति सुमन उम्र 24 साल निवासी गिरधरपुरा कोटा, श्री सुनील शर्मा पुत्र लल्लू लाल जाति ब्राहाण उम्र 23 साल निवासी प्रेमनगर कोटा के साथ श्री लक्ष्मीनारायण कहार पुत्र नन्दलाल कहार उम्र 52 साल निवासी रायपुरा कोटा, श्री सत्यनारायण माली पुत्र ग्यारसीलाल जाति माली निवासी गिरधरपुरा कोटा, श्री शिवनन्दन पुत्र श्री बिरधीलाल उम्र 32 साल जाति चोबदार निवासी रामदेव मंदिर के पास इन्दिरा गांधी नगर कोटा का आपस मे जाली वसीयत बनाने मे बतौर गवाह सहयोग व षणयंत्र होने पर ब्यूरों मे अपराध संख्या 411/2014 दर्ज कर अनुसंधान के उपरान्त 1. श्री नवलचन्द जैन तत्कालीन तहसीलदार लाडपुरा कोटा के विरूद्ध अपराध धारा 13(1)(डी) 13(2) पीसी एक्ट 1988 व धारा 219,420,120बी आईपीसी 2. श्री हरीश गोस्वामी पुत्र श्री बल्लभ लाल गोस्वामी निवासी 7 गिरधर निवास गॉधी ग्राम जूहू विले पार्ले मुम्बई 3. श्री दिनेश सेठ पुत्र श्री बालकृष्ण सेठ जाति कपोल बनिया निवासी बी विंग, 303, पारीक प्लाजा थर्ड फ्लोर, बल्लभ भाई पटेल रोड, नानावती स्कूल के सामने विले पार्ले वेस्ट मुम्बई व 4. श्री मिथून सरोजा उर्फ बोबी मेवाडा पुत्र श्री रमेश मेवाडा जाति कलाल निवासी संगम होटल की गली गुमानपुरा कोटा के विरूद्ध धारा 219,420,120बी आईपीसी के तहत चालान न्यायालय मे पेश करने का निर्णय लिया गया था। श्री नवलचन्द जैन तत्कालीन तहसीलदार लाडपुरा कोटा के विरूद्ध राजस्व मण्डल अजमेर से जारी अभियोजन स्वीकृति के विरूद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयुपर मे रिट संख्या 321/2017 दायर करने पर माननीय न्यायालय द्वारा नवलचन्द के विरूद्ध जारी अभियोजन स्वीकृति की कियान्वयन पर स्थगन आदेश जारी किया हुआ है, जिससे प्रकरण विचारधीन चल रहा है। उक्त जमीन के संबंध मे एसीबी मे प्रकरण विचाराधीन होने के उपरान्त भी राजस्व मण्डल अजमेर के सदस्य एवं एकलपीठ सदस्य श्री द्वारकालाल मीणा के पास उक्त जमीन हेतु श्री दिनेश सुमन पुत्र श्री नाथू लाल सुमन द्वारा दायर अपील मे नियम विरूद्ध रेवेन्यू लेण्ड एक्ट की धारा 9 का दुरूपयोग कर उक्त याचिका को 25.06.2018 को निस्तारित करते हुए तहसीलदार लाडपुरा कोटा को 15 दिवस मे याचिकाकर्ता के नाम नामान्तरण खोलने के आदेश दिए गए। उक्त नामान्तरण के संबंध मे शिकायत होने पर राजस्व मण्डल के सदस्य श्री द्वारकालाल मीणा द्वारा दिनांक 23.07.2018 को पूर्व मे दिए गए आदेश दिनांक 25.06.2018 को निरस्त कर दिया। उपरोक्त से स्पष्ट है कि राजस्व मण्डल के सदस्य श्री द्वारकालाल मीणा एवं राजस्व मण्डल अजमेर के अन्य अधिकारी/कर्मचारी तथा तहसील लाडपुरा के अधिकारी/कर्मचारियों ने अपने पद का दुरूपयोग करते हुए स्वयं को लाभान्वित करने की गरज से श्री दिनेश सुमन से आपस मे मिलीभगत कर मथूराधीश मंदिर की जमीन का नामान्तरण दिनेश सुमन के नाम दर्ज करने का कृत्य किया। उपरोक्त रिपोर्ट पर परिवाद संख्या – 513/2018 दर्ज किया जाकर सत्यापन हेतु मन पुलिस निरीक्षक अजीत बगडोलिया के सुपुर्द किया गया।

परिवाद की जांच के क्रम मे राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर से निम्नलिखित दस्तावेज प्राप्त किए गए –

1. अपील संख्या – 4489/2018, **सरकार बनाम दिनेश** की पत्रावली की प्रमाणित छायाप्रति प्राप्त की गई।
2. श्री दिनेश सुमन पुत्र नाथू लाल सुमन द्वारा कैम्प कोटा मे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 9 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 व धारा 151 सी.पी.सी. **दिनांक 11.06.2018 की प्रमाणित छायाप्रति प्राप्त की गई।**
3. श्री दिनेश सुमन द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे प्रकरण दर्ज संख्या 4489/2018 मे पारित आदेशिका दिनांक 15.06.2018 की प्रमाणित प्रति प्राप्त की गई।
4. दिनांक 17.07.2018 को श्री दिनेश सुमन द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी.पी.सी. की प्रमाणित प्रति प्राप्त की गई। उक्त प्रार्थना पत्र पर आदेशिका दिनांक 17.07.2018 की प्रमाणित प्रति प्राप्त की गई।
5. आदेशिका दिनांक 25.06.2018 को निरस्त करने हेतु राजस्व मण्डल के सदस्य श्री द्वारकालाल मीणा द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.07.2018 की प्रति प्राप्त की गई।

कार्यालय तहसील लाडपुरा, जिला कोटा से निम्न दस्तावेज प्राप्त किए गए –

1. श्री दिनेश सुमन द्वारा भूमि खसरा नम्बर – 311, 312 की कुल 3.93 हैक्टेयर का नामान्तरण स्वयं के पक्ष मे दर्ज करने बाबत तहसीलदार लाडपुरा को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं उक्त प्रार्थना पत्र पर पटवारी लाडपुरा द्वारा पेश रिर्पोट तथा तहसीलदार द्वारा नामान्तरण तस्दीक दर्ज करने हेतु प्रदान किए गए आदेश संबंधी दस्तावेज प्राप्त किए गए।
2. ग्राम रायपुरा तहसील लाडपुरा की भूमि खसरा नम्बर – 311, 312 की कुल 3.93 हैक्टेयर का नामान्तरण संख्या 328 दिनांक 11.07.2018 की **नामान्तरण रजिस्टर की प्रमाणित प्रति प्राप्त की गई।**
3. ग्राम रायपुरा तहसील लाडपुरा की भूमि खसरा नम्बर – 311, 312 की कुल 3.93 हैक्टेयर का नामान्तरण संख्या – 330 दिनांक 24.07.2018 **की नामान्तरण रजिस्टर की प्रमाणित प्रति प्राप्त की गई।**
4. ग्राम रायपुरा तहसील लाडपुरा की भूमि खसरा नम्बर – 311, 312 की कुल 3.93 हैक्टेयर की दिनांक 01.11.19 की मौका स्थिति रिर्पोट व जमाबंदी की नकल प्राप्त की गई।

परिवाद के सत्यापन के दौरान राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर व तहसील लाडपुरा जिला कोटा से प्राप्त दस्तावेजात के आधार पर पाया गया है कि –

1. श्री दिनेश सुमन पुत्र नाथू लाल सुमन निवासी 173 विद्यालय रोड, गिरधरपुरा तहसील लाडपुरा कोटा द्वारा धारा 9 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 व धारा 151 सी.पी.सी. अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र दिनांक 11.06.2018 को न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर कैम्प कोटा मे जर्ये अधिवक्ता पेश किया गया।
2. **उक्त प्रार्थना पत्र प्रार्थी दिनेश सुमन ने अंकित किया कि –** ग्राम रायपुरा तहसील लाडपुरा की भूमि खसरा नम्बर – 311, 312 की कुल 3.93 हैक्टेयर के बाबत माननीय राजस्व मण्डल द्वारा प्रकरण संख्या – 7183/2014 बउनवानी दिनेश बनाम सरकार मे दिनांक 10.09.2015 को निर्णय पारित किया गया और वादग्रस्त आराजीयात के प्रार्थी के पक्ष मे नाम उमल दरामद किए जाने के आदेश दिये। प्रार्थी ने उक्त आदेश की की पालना हेतु तहसीलदार लाडपुरा के समक्ष निर्णय की प्रति व आवेदन प्रस्तुत किया गया है किन्तु आज दिनांक तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। तहसीलदार द्वारा कई बार निवेदन किए जाने के बावजूद वे माननीय न्यायालय के निर्णय की पालना नहीं कर रहे है, जो प्रथम दृष्टया माननीय न्यायालय के निर्णय की अवहेलना है।अतः तहसीलदार लाडपुरा को निर्देशित किया जावे की वे राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 10.09.15 की पालना करे और प्रार्थी के नाम आराजीयात का राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद करे और निर्णय की पालना करने के पश्चात पालना रिर्पोट माननीय मण्डल के समक्ष प्रति प्रेषित करे।
3. उक्त प्रार्थना पत्र को न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर कैम्प कोटा मे सदस्य श्री द्वारका लाल मीणा ने दर्ज रजिस्टर के आदेश जारी कर बहस एडमिशन हेतु दिनांक 12.06.18 दी गई।
4. उक्त प्रार्थना पत्र पर दिनांक 12.06.18 बहस प्रार्थना पत्र पर सुनी गई तथा पत्रावली वास्ते आदेश रिजर्व रखी गई।
5. दिनांक **25.06.2018 को न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर कैम्प कोटा एकल पीठ श्री द्वारका लाल मीणा, सदस्य द्वारा प्रार्थी दिनेश सुमन के उक्त प्रार्थना पत्र पर निर्णय दिया गया जो संक्षिप्त मे निम्न प्रकार है** – प्रार्थी के अधिवक्ता श्री अशोक कुमार उपस्थित जिनकी **एकपक्षीय बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 9 राज.भू.राज.अधि. केसंबंध मे विस्तृत रूप से सुनी गई** तथा प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों का अवलोकन व अध्ययन किया है – पत्रावली कि आद्योपान्त अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रार्थी द्वारा पेश धारा 9 के प्रार्थना पत्र को मण्डल के पूर्ण माननीय एकल पीठ ने प्रार्थना पत्र संख्या 7183/2014 बउनवान दिनेश बनाम सरकार मे निर्णय दिनांक 10.09.15 पारित कर स्वीकार किया गया है।

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र पेश कर आक्षेप उठाया है कि मण्डल द्वारा पारित निर्णय की तहसीलदार लाडपुरा द्वारा अनुपालना नहीं की जा रही है। यहां यह उल्लेख करना समीचीन है कि उच्चतर न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों की पालना सुनिश्चित करना अधीनस्थ न्यायालयों का दायित्व है। संबंधित तहसीलदार द्वारा मण्डल द्वारा पारित निर्णय की पालना नहीं किया जाना न्यायिक कार्यपद्धति के विपरित है। हमारे द्वारा मण्डल की पूर्व माननीय एकल पीठ द्वारा पारित निर्णय का अवलोकन किया गया, जिसके अनुसार प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित भूमि का प्रार्थी के पक्ष मे अमल दरामद किए जाने की आज्ञा पारित की है। **प्रकरण की परिस्थिति के मध्यनजर मण्डल को प्रदत्त धारा 9 की असाधारण शक्तियों का प्रयोग करते हुए हम यह उचित समझते है कि राजस्व मण्डल की पूर्व एकल पीठ द्वारा**

पारित निर्णय दिनांक 10.09.15 की तहसीलदार लाडपुरा पालना सुनिश्चित कर तदनुसार निर्णय मे उल्लेखित भूमि के कम मे प्रार्थी के नाम का अमल दरामद कर पालना रिर्पोट 15 दिवस की अवधि मे राजस्व मण्डल को आवश्यक रूप से प्रस्तुत करे।

6. दिनांक **25.06.2018** को आवेदक श्री दिनेश सुमन द्वारा तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा को राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर एकल पीठ श्री द्वारका लाल मीणा, सदस्य द्वारा दिनांक 25.09.18 को जारी निर्णय की पालना हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया। जिस पर तहसीलदार द्वारा पटवारी को आदेश की पालना कर रिर्पोट प्रस्तुत करने के लिए दिया गया। हल्का पटवारी श्री शिवपाल सिंह द्वारा दिनांक 09.07.18 को स्वयं की रिर्पोट इस आशय की पेश कि की – (1) ग्राम रायपुरा तहसील लाडपुरा की भूमि खसरा नम्बर – 311 रकबा 0.07 गै.मु. बावडी व ख.न. 312 रकबा 3.86 किस्म न.प्र. किता –2 रकबा 3.93 हैक्टेयर जो कि वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे गोस्वामी बिठ्ठलदास उर्फ लालमणि उर्फ हरीश पुत्र रणछोडलाल जाति गुसाई जिला कोटा हाल नि. मुम्बई के खाते दर्ज है। महोदय उक्त खाता स. 27 पर नोट न0 1 दिनांक 20.02.15 से कार्यालय जिला कलेक्टर कोटा के आदेश क्र. 4363 दिनांक 15.1.14 से उक्त भूमि पर किसी प्रकार के भूमि का अन्तरण नहीं करने का निर्देश दिया गया है। व नोट स. 4 दिनांक 5.10.15 से न्यायालय सिविल न्यायाधीश दक्षिण द्वारा पत्रांक 19/15 दिनांक 20.1.15 से यथास्थिति बनाये रखने की अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान की गई है। (2) – महोदय उक्त प्रकरण मे न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा दिनांक 10.09.15 कमांक 7183/2014 को प्रार्थी दिनेंश पुत्र नाथूलाल सुमन के उक्त भूमि खाते बांधने का आदेश दिया गया था, जो कि न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर के द्वारा पत्रांक 15/7072 दिनांक 08.01.16 द्वारा प्रार्थी बिठ्ठलनाथ को अप्रार्थी पक्षकार बनाकर तथा माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश की पालना मे रेवेन्यू बोर्ड की एकल पीठ द्वारा पूर्व पारित आदेश दिनांक 10.09.15 को रिकॉल कर लिया गया था। महोदय पूर्व मे श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय को उक्त खाते पर नामान्तरण दर्ज करने हेतु मार्गदर्शन मांगा जा चूका है। श्रीमान उक्त खाते पर नामान्तरण दर्ज करने हेतु उचित आदेश फरमावें।
7. हल्का पटवारी श्री शिवपाल सिंह द्वारा प्रस्तुत उक्त रिर्पोट पर तहसीलदार श्री कालूराम जांगीड द्वारा दिनांक 09.07.18 को नोट अंकित कर आदेश दिया गया कि – **माननीय न्यायालय रा.म.अजमेर के आदेश दिनांक 25.06.2018 एवं जिला कलेक्टर के आदेश की पालना मे नामा. दर्ज कर आज ही पेश करे।**
8. तहसीलदार श्री कालूराम जांगीड द्वारा दिनांक 09.07.18 के आदेश की पालना मे हल्का पटवारी श्री शिवपाल सिंह द्वारा दिनांक 10.07.18 को नामन्तरण संख्या – 328 दिनांक 11.07.2018 दर्ज रजिस्टर किया गया। जिसमे उक्त आराजी गोस्वामी बिठ्ठलदास उर्फ लालमणि उर्फ हरीश पुत्र रणछोडलाल जाति गुसाई जिला कोटा हाल नि. मुम्बई से दिनेश पुत्र नाथू लाल जाति माली के नाम दर्ज की गई।
9. जिस पर कानूनगों श्री शिवनन्दन सिंह ने रिर्पोट अकिंत कि की – मुताबिक रेकार्ड रिर्पोट पटवारी अंकन सही है। सलंग्न न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर के समस्त निर्णय दिनांक 10.09.15, 8.01.16 के उचित निर्णय फरमावें।
10. उक्त हल्का पटवारी व कानूनगों द्वारा अंकित रिर्पोट पर दिनांक 11.07.18 को श्री कालू लाल जांगीड तहसीलदार लाडपुरा द्वारा नामान्तरण स्वीकृत करने के आदेश प्रदान किए गए।
11. इसके पश्चात दिनेश पुत्र नाथू लाल जाति माली द्वारा ग्राम रायपुरा तहसील लाडपुरा की भूमि खसरा नम्बर – 311 रकबा 0.07 गै.मु. बावडी व ख.न. 312 रकबा 3.86 किस्म न.प्र. किता –2 रकबा 3.93 हैक्टेयर को **7 करोड 30 लाख रूपये** मे परनामी फायनेंस लिमिटेड हैड ऑफिस बी–12 न्यू कॉलोंनी गुमानपुरा कोटा जर्ये निदेशक श्री श्यामसुन्दर अरोडा आत्मज पन्जूराम जाति पंजाबी निवासी – 12बी, न्यू कॉलोनी गुमानपुरा कोटा को दिनांक – 16.07.18 जर्ये विक्रय पत्र बेचान दिया।
12. हल्का पटवारी श्री शिवपाल सिंह द्वारा उक्त आराजी के विक्रय का नामान्तरण संख्या 330 दिनांक 20.07.18 को दर्ज रजिस्टर किया गया, जिस पर कानूनगो श्री शिवनन्दन सिंह द्वारा 23.07.19 को रिर्पोट की गई तथा दिनांक 24.07.18 को श्री कालू लाल जांगीड तहसीलदार लाडपुरा द्वारा नामान्तरण स्वीकृत करने के आदेश प्रदान किए गए।
13. **दिनांक 17.07.2018 को** श्री दिनेश सुमन द्वारा धारा 151 सी.पी.सी. अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर एकल पीठ मे जर्ये अधिवक्ता इस आशय का पेश किया कि – **प्रकरण संख्या 4489/18 मे आगामी तारीख 20.07.18 नियत है, उक्त प्रकरण मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कार्यवाही कर दी गई है। अन्य कोई कार्यवाही**

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष शेष नहीं है। इसलिए उपरोक्त प्रकरण को इसी आधार पर निस्तारित किया जावे।

14. उक्त प्रार्थना पत्र पर न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के सदस्य श्री द्वारका लाल मीणा द्वारा बहस सुनी गई तथा आदेश रिजर्व रखा गया।

15. दिनांक **23.07.2018 को न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर कैम्प कोटा एकल पीठ श्री द्वारका लाल मीणा, सदस्य द्वारा प्रार्थी दिनेश सुमन के धारा 9 के अन्तर्गत पेश किए गए प्रार्थना पत्र पर निर्णय दिया गया जो संक्षिप्त मे निम्न प्रकार है** – हस्तगत प्रार्थना पत्र अधिनियम की धारा 9 के तहत प्रस्तुत किया गया है। इस बाबत निम्नांकित विनिश्चय का अवलोकन किया जाना अपेक्षित है – भाम्भल व अन्य बनाम राजस्व मण्डल व अन्य 2006 मे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय व अन्य निर्णयों मे दिए गए सिद्धान्तों के आधार पर स्पष्ट है कि धारा 9 भू राजस्व अधिनियम अथव धारा 221 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत इस बोर्ड मे अधीनस्थ न्यायालयों के नियंत्रण, पर्यवेक्षण एवं अधीक्षण की शक्तियॉ उनके प्रशासनिक कृत्यों के साथ न्यायिक कृत्यों के संबंध मे अन्तर्निहित है। मामले मे वाद संख्या 21/2012 मे निर्णयानुसार नामान्तरण स्वीकृत कर अमल दरामद का अनुतोष चाहा गया है, तहसीलदार द्वारा नामान्तरण स्वीकार किए जाने की कार्यवाही नहीं किए जाने के विरूद्ध संबंधित तहसीलदार के विरूद्ध नियमानुसार अवमानना प्रार्थना पत्र प्रस्तुतीकरण का प्रावधान उपलब्ध है। प्रार्थी ने उक्त विकल्प का उपचार लिए बिना ही सीधे ही मण्डल के समक्ष हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। विभिन्न शीर्ष न्यायालयों ने अपने विभिन्न निर्णयों मे यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया है कि जहां वैकल्पिक उपचार उपलब्ध है वहां सामान्य तौर पर धारा 221 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अथवा धारा 9 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत राजस्व मण्डल को प्रदत्त असाधारण शक्तियॉ किसी न्यायिक आदेश या डिक्री मे परिवर्तन के लिए काम मे नहीं ली जा सकती है। ऐसी स्थिति मे यह प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का कोई कारण विद्यमान नहीं है। अतः कानून की स्पष्ट व्याख्या के प्रकाश मे वर्तमान प्रकरण मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 9 व धारा 221 की असाधारण शक्तियों का प्रयोग कर किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना हम उचित नहीं समझते है। उपरोक्त विवेचन के अनुसार इस न्यायालय का यह सुविचारित मत है कि धारा 9 भू राजस्व अधिनियम व धारा 221 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत हस्तगत प्रार्थना पत्र निरस्तनीय है। अतः एतदद्वारा निरस्त किया जाता है। इसके साथ ही इस एकल पीठ द्वारा पूर्व मे पारित आदेशिका दिनांक 25.06.2018 को भी अपास्त किया जाता है।

उपरोक्त तथ्यों के अतिरिक्त निम्न तथ्य उल्लेखनीय है –

1. राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या – 7183/2014 बउनवानी दिनेश बनाम सरकार मे दिनांक 10.09.2015 को निर्णय पारित किया गया था, जिसमे तहसीलदार लाडपुरा कोटा को आदेश प्रदान किए गए थे कि प्रार्थी दिनेश सुमन के प्रार्थना पत्र संख्या 21/2012 को निर्णित करते हुए, वसीयत दिनांक 14.06.1984 व पंजीकृत वसीयत कृषि भूमि खसरा नम्बर – 311 रकबा 0.07 गै.मु. बावडी व ख.न. 312 रकबा 3.86 किस्म न.प्र. किता –2 रकबा 3.93 हैक्टेयर का अमल दरामद राजस्व रिकार्ड मे प्रार्थी के नाम करे।
2. राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के उक्त निर्णय दिनांक 10.09.2015 के विरूद्ध पिटिशनर गोस्वामी बिठ्ठलदास व अन्य के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय मे एस.बी. **सिविल रिट पिटिशन नम्बर 15267/2015** दायर की गई, जिस पर माननीय उच्च न्यायालय न्यायालय द्वारा दिनांक 16.10.2015 को निर्णय दिया जाकर पिटिशनर सुनवाई का अवसर दिए जाने व पिटिशनर द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए जाने तक राजस्व मण्डल का दिनांक 10.09.2015 को स्थगित किया गया।
3. राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा **दिनांक 08.01.2016** को निर्णय सुनाया जाकर प्रार्थी बिठ्ठलनाथ को प्रकरण मे अप्रार्थी पक्षकार संयोजित किया तथा **मण्डल की एकल पीठ द्वारा पूर्व पारित आदेश दिनांक 10.09.2015 को रिकॉल किया गया।**
4. उक्त आराजी के संबध मे पूर्व मे **प्रकरण संख्या – 411/2014** पंजीबद्ध होकर अनुसंधानाधीन है जिसमे अनुसंधान के उपरान्त 1. श्री नवलचन्द जैन तत्कालीन तहसीलदार लाडपुरा कोटा के विरूद्ध अपराध धारा 13(1)(डी) 13(2) पीसी एक्ट 1988 व धारा 219,420,120बी आईपीसी 2. श्री हरीश गोस्वामी पुत्र श्री बल्लभ लाल गोस्वामी निवासी 7 गिरधर निवास गॉधी ग्राम जूहू विले पार्ले मुम्बई 3. श्री दिनेश सेठ पुत्र श्री बालकृष्ण सेठ जाति कपोल बनिया निवासी बी विंग, 303, पारीक प्लाजा थर्ड फ्लोर, बल्लभ भाई पटेल रोड, नानावती स्कूल के सामने विले पार्ले वेस्ट मुम्बई व 4. श्री मिथून सरोजा उर्फ बोबी

मेवाडा पुत्र श्री रमेश मेवाडा जाति कलाल निवासी संगम होटल की गली गुमानपुरा कोटा के विरूद्ध धारा 219,420,120बी आईपीसी के तहत चालान न्यायालय मे पेश करने का निर्णय लिया गया था। श्री नवलचन्द जैन तत्कालीन तहसीलदार लाडपुरा कोटा के विरूद्ध राजस्व मण्डल अजमेर से जारी अभियोजन स्वीकृति के विरूद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयुपर मे रिट संख्या 321/2017 दायर करने पर माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन स्वीकृति की कियान्वयन पर स्थगन आदेश जारी किया हुआ है, जिससे प्रकरण विचारधीन चल रहा है।

इस प्रकार परिवाद के सत्यापन के दौरान प्राप्त समस्त दस्तोवज के आधार पर पाया गया कि – श्री दिनेश सुमन द्वारा दिनांक 11.06.18 को धारा 9 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 व धारा 151 सी.पी.सी. अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के सदस्य श्री द्वारका लाल मीणा द्वारा दिनांक 25.06.2018 को धारा 9 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की असाधारण शक्तियों का प्रयोग करते हुए हम यह उचित समझते है कि राजस्व मण्डल की पूर्व एकल पीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.09.15 की तहसीलदार लाडपुरा पालना सुनिश्चित कर तदनुसार निर्णय मे उल्लेखित भूमि के क्रम मे प्रार्थी के नाम का अमल दरामद कर पालना रिर्पोट 15 दिवस की अवधि मे राजस्व मण्डल को आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने के आदेश प्रदान किए।

उक्त आदेश की पालना मे तहसीलदार लाडपुरा द्वारा प्रार्थी दिनेश सुमन के आवेदन व राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 25.06.2018 की पालना मे हल्का पटवारी को नामान्तरण दर्ज करने के आदेश प्रदान किए। जिस पर जांच के बाद हल्का पटवारी द्वारा रिर्पोट मे उक्त भूमि के संबंध मे न्यायालय सिविल न्यायाधीश दक्षिण द्वारा पत्रांक 19/15 दिनांक 20.1.15 से यथास्थिति बनाये रखने की अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान किए जाने बाबत तथा राजस्व मण्डल अजमेर के द्वारा पत्रांक 15/7072 दिनांक 08.01.16 द्वारा प्रार्थी बिठ्ठलनाथ को अप्रार्थी पक्षकार बनाकर तथा माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश की पालना मे रेवेन्यू बोर्ड की एकल पीठ द्वारा पूर्व पारित आदेश दिनांक 10.09.15 को रिकॉल किए जाने बाबत तथ्य अंकित किए जाने के बावजूद श्री कालू लाल जांगीड तहसीलदार लाडपुरा द्वारा नामान्तरण दर्ज कर उसी दिन पेश करने के आदेश प्रदान किए गए, जिसकी पालना मे हल्का पटवारी द्वारा 10.07.18 को नामन्तरण संख्या – 328 दिनांक 11.07.2018 दर्ज रजिस्टर किया गया, जो दिनांक 11.07.18 को तहसीलदार लाडपुरा द्वारा स्वीकृत किया गया।

उक्त आराजी राजस्व रिकार्ड मे दर्ज होने के तुरंत पश्चात दिनांक 16.07.18 को दिनेश सुमन द्वारा 7 करोड 30 लाख रूपये मे परनामी फायनेंस लिमिटेड हैड ऑफिस बी–12 न्यू कॉलोंनी गुमानपुरा कोटा जर्ये निदेशक श्री श्यामसुन्दर अरोडा आत्मज पन्जूराम जाति पंजाबी निवासी – 12बी, न्यू कॉलोनी गुमानपुरा कोटा बेचान कर दिया गया। जिस पर उक्त आराजी का नामान्तरण संख्या 330 दिनांक 20.07.18 को दर्ज रजिस्टर किया गया तथा दिनांक 24.07.18 को श्री कालू लाल जांगीड तहसीलदार लाडपुरा द्वारा नामान्तरण स्वीकृत करने के आदेश प्रदान किए गए।

उक्त आराजी का विक्रय श्री दिनेश सुमन द्वारा परनामी फायनेंस लिमिटेड को 7 करोड 30 लाख रूपये मे किये जाने तथा नामान्तरण संख्या 330 दिनांक 20.07.18 को दर्ज रजिस्टर किए जाने के उपरान्त दिनांक 23.07.2018 को राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के सदस्य श्री द्वारका लाल मीणा, सदस्य द्वारा दिनेश सुमन द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर स्वतः पुनः निर्णय दिया जाकर – विभिन्न शीर्ष न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित सिद्वान्त, जहां वैकल्पिक उपचार उपलब्ध है वहां सामान्य तौर पर धारा 221 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अथवा धारा 9 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत राजस्व मण्डल को प्रदत्त असाधारण शक्तियॉ किसी न्यायिक आदेश या डिक्री मे परिवर्तन के लिए काम मे नहीं ली जा सकती है, के आधार पर धारा 9 भू राजस्व अधिनियम व धारा 221 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की असाधारण शक्तियों का प्रयोग कर किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना हम उचित नहीं समझने के आधार पर पूर्व मे पारित आदेशिका दिनांक 25.06.2018 को भी अपास्त किया गया।

इस प्रकार स्पष्ट है कि श्री द्वारका लाल मीणा सदस्य राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के द्वारा दिनांक 25.06.2018 को निर्णय दिए जाने से पूर्व अधिनियम मे उल्लेखित विधिक प्रावधानों की पालना नहीं की, पूर्व मे विचाराधीन प्रकरण संख्या– 7183/2014 बउनवानी दिनेश बनाम सरकार मे राजस्व मण्डल द्वारा दिनांक 08.01.2016 को प्रदान किए गए निर्णय व माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय के संबंध मे कोई जानकारी प्राप्त नहीं की तथा अप्रार्थी व उपराजकीय अधिवक्ता को पक्ष सुने बिना ही एकपक्षीय बहस के आधार पर निर्णय

जारी कर दिनांक 10.09.15 के निर्णय पालना करने के आदेश प्रदान किए। उक्त निर्णय की पालना मे श्री कालू लाल जांगीड तहसीलदार लाडपुरा द्वारा राजस्व मण्डल दिनांक 10.09.15 के निर्णय को राजस्व मण्डल के दिनांक 08.01.2016 के पुनः निर्णय द्वारा रिकॉल किए जाने की जानकारी होने के बावजूद जानबुझकर श्री दिनेश सुमन को सदोष लाभ पहुँचाने हेतु राजस्व रिकार्ड मे नाम दर्ज किया गया। श्री दिनेश सुमन का नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज होने तथा दिनांक 16.07.18 को उक्त आराजी को 7 करोड 30 लाख रूपये मे परनामी फायनेंस लिमिटेड को विक्रय करने तथा दिनांक 20.07.18 को राजस्व रिकार्ड मे परनामी फायनेंस लिमिटेड का नाम दर्ज किये जाने के उपरान्त श्री द्वारका लाल मीणा सदस्य राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के द्वारा दिनांक 23.07.2018 को उक्त प्रकरण मे पुनः निर्णय दिया जाकर पूर्व निर्णय दिनांक 25.06.18 को अपास्त किया गया। उपरोक्त समस्त तथ्यों से श्री द्वारका लाल मीणा सदस्य राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर, श्री कालू लाल जांगीड तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा का अपने पद का दुरूपयोग कर श्री दिनेश सुमन को सदोष अभिलाभ प्रदान करना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है तथा तत्कालीन पटवारी व गिरदावर की भूमिका की जॉच आवश्यक है।

अतः आरोपीगण (1) श्री द्वारका लाल मीणा तत्कालीन सदस्य राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर हाल सेवानिवृत निवासी – फ्लेट नम्बर – 504, शुभम रेजीडेंसी, बांरा रोड कोटा (2). श्री कालू लाल खाती पुत्र कंवरी लाल खाती निवासी मु0पो0 गुराई वाया दूनी जिला टोंक तत्कालीन तहसीलदार तहसील लाडपुरा जिला कोटा हाल सेवानिवृत (3). श्री दिनेश पुत्र नाथू लाल जाति माली निवासी 173, विद्यालय रोड, गिरधरपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा का कृत्य धारा 13(1)(डी),13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 व 120बी भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होने से प्रकरण पंजीबद्ध करने हेतु तथा तत्कालीन पटवारी व गिरदारवर की भूमिका की जांच हेतु बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट 7 प्रतियों मे प्रेषित है।

अजीत बगडोलिया
पुलिस निरीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों कोटा

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री अजीत बगडोलिया, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से अपराध अन्तर्गत धारा 13(1) (डी), 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 एवं 120बी भादंसं में आरोपीगण 1. श्री द्वारका लाल मीणा, तत्कालीन सदस्य, राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर हाल सेवानिवृत निवासी फ्लेट नम्बर-504, शुभम रेजीडेंसी, बारां रोड़, कोटा 2. श्री कालू लाल खाती, तत्कालीन तहसीलदार, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा हाल सेवानिवृत 3. श्री दिनेश पुत्र नाथू लाल, निवासी 173, विद्यालय रोड़ गिरधरपुरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 284/2022 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

15.7.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर

क्रमांक 2496-2502 दिनांक 15.7.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, कोटा।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर
3. शासन उप सचिव, कार्मिक (क-3/शिकायत) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निबंधक, राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर।
5. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा।
6. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा।
7. अति. पुलिस अधीक्षक-परि, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर(परि.513/18)।

15.7.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर